

मुख्यालय सर्कुलर नंबर 11

देश के प्राइवेट सेक्टर के लोगों पर किए गए गहन अध्ययन एवं रिसर्च के बाद यह सामने आया कि इन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, तथा इनके जीवन में स्थिरता की कमी है। जिससे युवा पीढ़ी विशेष रूप से तनावपूर्ण जीवन जी रही है। जिसको देखते हुए 21 वीं सदी के इस वातावरण के अनुसार HELP INDIA परिवार की रचना की गई है।

HELP INDIA के लगभग सभी लाभ, परिवार में कम से कम एक लाख सक्रीय सदस्यों की गणना पर आधारित होंगे।

HELP INDIA की आवश्यक मदद से सम्बंधित सारणी :-

1. आपातकालीन मदद कि सारणी :-

Sr.No.	Support As per Rank	Death (Self)	Full Disability (Self)	Critical illness (Blood Relation)
1	City Head	2 लाख तक	1 लाख तक	1 लाख तक
2	Active City head	5 लाख तक	3 लाख तक	3 लाख तक
3	Area City Head	6 लाख तक	3 लाख 50 हजार तक	3 लाख 50 हजार तक
4	Circle City Head	7 लाख तक	4 लाख तक	4 लाख तक
5	Regional City head	8 लाख तक	4 लाख 50 हजार तक	4 लाख 50 हजार तक
6	Zonal City head	9 लाख तक	5 लाख तक	5 लाख तक
7	State / National Committee	10 लाख तक	10 लाख तक	10 लाख तक

2. मैरिज मदद कि सारणी :-

Sr.No.	Support As per Rank	Only Blood Relation
1	City Head	1 लाख तक
2	Active City head	3 लाख तक
3	Area City Head	3 लाख 50 हजार तक
4	Circle City Head	4 लाख तक
5	Regional City head	4 लाख 50 हजार तक
6	Zonal City head	5 लाख तक
7	State / National Committee	5 लाख तक



1. यह मदद केवल एक्टिव सदस्यों के लिए ही उपलब्ध रहेगी।
2. यह मदद केवल अचीव करने के 90 दिवस के उपरान्त ही लागू होगी।
3. एक्टिव सदस्य कि परिभाषा को समझने के लिए सर्कुलर नम्बर 27 देखे।
4. यह मदद क्वालीफाई होने वाले व्यक्ति को 1 साल में एक बार ही मिलेगी।
5. 60 वर्ष से 72 वर्ष की आयु के एक्टिव सदस्यों यदि मदद का आवेदन करते हैं तो वर्णित सारणी में से 50 प्रतिशत मदद राशि ही प्रदान की जाएगी।
6. 72 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सदस्य उक्त मदद के पात्र नहीं माने जाएंगे।
7. संस्था के सक्रिय सदस्यों को जो मदद राशि वितरित की जावेगी। वह संस्था में उपलब्ध तत्कालीन समय में फण्ड के अनुसार ही प्रो रेटा बेसिस (हेल्प वॉलेट उपलब्ध फंड के अनुसार)पर वितरित की जावेगी।
8. लेवल में wallet की संख्या के आधार पर आवश्यक रूप से क्रमशः रुपये 1,2,3,4,5,6,7 ,10 हेल्प वॉलेट से कम्पल्सरी मदद दी जाएगी। अधिकतम मदद सीमा ऊपर की सारणी में वर्णित है।
9. हेल्प आवेदन के साथ समस्त पत्रावली सिटी हेड से वेरीफाई करवाकर मुख्यालय भेजने होंगे।
10. किसी भी एक्टिव सदस्य द्वारा यदि गलत सूचना के आधार पर कोई मदद का लाभ लिया जाता है, तो उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तथा वसूली की कार्यवाही अमल में ली जायेगी।
11. क्रिटिकल इलनेस का निर्धारण संस्था की (प्रबंध समिति द्वारा गठित कमेटी) स्वंम की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण के उपरान्त ही किया जायेगी।
12. हेल्प की गाइडलाइन में इसमें बदलाव कभी भी किया जा सकता है, तथा सभी प्रकार की हेल्प में अंतिम निर्णय मैनेजमेंट का रहेगा जो सभी को मान्य होगा।

संपर्क सूत्र

+917412872777

+917412871777

डॉ. जगदीश पारीक

सचिव

हेल्प इंडिया ऑनलाइन संस्थान